अपराध जबलपुर सबसे संवेदनशील, सुरक्षा डैशबोर्ड और आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ताजा आंकड़े

पश्चिम मध्य रेलवे में 7 माह में 3,634 वारदात

धनंजय श्रीवास्तव

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेलवे के सुरक्षा डैशबोर्ड और आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ताजा आंकड़े बताते हैं कि रेलवे में अपराधों पर कुछ हद तक अंकुश जरूर लगा है, लेकिन यात्रियों के सामान की चोरी अब भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। 1 जनवरी से 4 अगस्त 2026 के बीच पश्चिम मध्य रेलवे में कुल 3,634 आपराधिक घटनाएं दर्ज की गईं। राहत की बात यह है कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कुल अपराधों में 5.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

हालांकि, अपराधों का स्वरूप बताता है कि रेलवे में सबसे बड़ी परेशानी अभी भी यात्रियों के सामान की चोरी है। कुल घटनाओं में से 3,630 मामले यानी लगभग 99.9 प्रतिशत केवल थेफ्ट ऑफ़ बेलोंगिंग्स के हैं। इसके अलावा लूट के केवल 4 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि डकैती की एक भी घटना

सामने नहीं आई। लूट के मामलों में भी पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

जबलपुर मंडल पर अधिक दबाव

मिली जानकारी के अनुसार अपराधों का सबसे अधिक दबाव जबलपुर मंडल पर है। यहां 1,840 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में सर्वाधिक हैं। इसके मुकाबले भोपाल मंडल में 294 और कोटा मंडल में केवल 19 घटनाएं दर्ज हुई हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि अधिकांश अपराध रेलवे स्टेशन परिसर की अपेक्षा चलती ट्रेनों के भीतर हुए हैं। चोरी की घटनाओं में सबसे अधिक मामले यात्रियों के बैग, मोबाइल फोन, पर्स, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी होने के हैं।

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार लंबी दूरी की ट्रेनों, रात के समय यात्रा और भीड़भाड़ वाले कोच अपराधियों के लिए सबसे आसान निशाना बनते हैं। यही वजह है कि ट्रेनों में गश्त, सीसीटीवी निगरानी और यात्रियों को लगातार जागरूक करने के बावजूद चोरी की घटनाएं पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पा रही हैं। आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के आंकड़े भी चोरी की घटनाओं का अलग पहलू सामने रखते हैं।

> **व्यवस्थाओं को और करना होगा मजबूत**
>
> सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अपराधों में आई कमी सकारात्मक संकेत है, लेकिन चोरी की घटनाओं का अनुपात बेहद चिंताजनक है। यात्रियों के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल गश्त बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी निगरानी, फेस रिकग्निशन सिस्टम, संवेदनशील ट्रेनों में अतिरिक्त आरपीएफ एस्कॉर्ट, डिजिटल इंटेलिजेंस और त्वरित तकनीकी जांच जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना होगा।

अब भी बरकरार है चुनौती

बता दे कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से 5 अगस्त 2026 के बीच चोरी के 466 मामले दर्ज किए गए, जिनमें यात्रियों की करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति चोरी हुई। वहीं, पिछले वर्ष इसी अवधि में 621 मामलों में लगभग 1 करोड़ 49 लाख रुपये मूल्य का सामान चोरी हुआ था। यानी इस वर्ष मामलों की संख्या के साथ-साथ चोरी गई संपत्ति के मूल्य में भी कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद हर दिन औसतन 16 से अधिक चोरी की घटनाएं होना इस बात का संकेत है कि अपराधियों का नेटवर्क अब भी सक्रिय है और रेलवे सुरक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती बरकरार है।

इनका कहना है

आरपीएफ द्वारा क्राइम को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले एक साल में क्राइम रेट में गिरावट भी देखी गई है। आरपीएफ द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

राजीव खरब
पोस्ट प्रभारी, आरपीएफ

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की वन भूमि में कर रहे खेती

स्टेटस रिपोर्ट पर रिज्वाइंडर पेश करने याचिकाकर्ता को मिला समय

जबलपुर। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की वन भूमि में लोगों के द्वारा खेती किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन तथा वन विभाग के द्वारा वन भूमि में अतिक्रमण कर खेती किये जाने वालो को हटाये जाने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट पेश की गयी। रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता की तरफ से आपत्ति पेश की गयी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को रिपोर्ट पर रिज्वाइंडर पेश करने समय प्रदान प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 14 अगस्त को निर्धारित की गयी है।

उमरिया निवासी राम लखन सेन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि लोगों के द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले वन भूमि में अतिक्रमण कर खेती का कार्य किया जा रहा है। जिसके कारण वन्यजीवों की आवाजाही व दिनचर्या पर प्रभाव पडता है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वन विभाग तथा जिला प्रशासन को कार्यवाही कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये थे।

याचिका की सुनवाई के दौरान वन विभाग तथा जिला प्रशासन को अतिक्रमण कर खेती करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये थे। हाईकोर्ट में पेश की गयी रिपोर्ट में कहा गया कि अतिक्रमण कर खेती करने वालो पर कार्यवाही करते हुए उन्हे हटा दिया गया है। याचिकाकर्ता ने विरोध करते हुए कि अतिक्रमणकारी अभी भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाली वन भूमि में खेती कर रहे है। याचिकाकर्ता की तरफ स्टेट्स रिपोर्ट पर रिज्वाइडर पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया। युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता परिमल चतुर्वेदी ने पैरवी की।

> **सरकारी वसूली में कानून और प्रक्रिया भी जरूरी**
>
> मप्र हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा कि सरकारी वसूली में कानून और प्रक्रिया भी जरूरी है। इसी के साथ मंडला जिले की ग्राम पंचायत बिनैका की सरपंच और पंचायत सचिव के खिलाफ प्रस्तावित 4.93 लाख रुपये की वसूली पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने राज्य शासन सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।दरअसल सरपंच अनुसुइया परस्ते और पंचायत सचिव विपिन पटेल ने 29 जून 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनसे 4,93,942 रुपये की वसूली प्रस्तावित की गई थी। आवेदकों की ओर से दलील दी गई कि वसूली का आदेश विधि सम्मत नहीं है। मामले में हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि सरकारी राशि की वसूली का अधिकार होने के बावजूद संबंधित प्राधिकारी कानून और निर्धारित प्रक्रिया से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं कर सकते। प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक विवादित आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी।

एमयू के बराबर दो हिस्से नहीं करना सोची समझी साजिश

नवभारत, जबलपुर। कुछ वर्ष पूर्व में जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का विभाजन किया गया तब जबलपुर और ग्वालियर को बराबर के हिस्से दिये गये, लेकिन अब मप्र मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के विभाजन में बराबर के दो हिस्से नहीं कर बड़ा हिस्सा उज्जैन को और छोटा हिस्सा जबलपुर को दिया गया। यह जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ सोची समझी साजिश इसलिए रची गयी, जिससे आगामी वर्षों में जबलपुर एम यू का आर्थिक कंगाली से अस्तित्व ही समाप्त हो जाये और उसके बाद प्रदेश में मात्र एक ही मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्जैन की ही बनी रह सके। यह आपत्ति गुरूवार को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. पुष्पराज सिंग के माध्यम से डायरेक्टर मेडिकल एज्यूकेशन व प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल को भेजी। आपत्ति में बताया गया है कि 20 जुलाई को क्रमांक-207 तथा 210 पर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित सूचना के अनुसार जबलपुर और उज्जैन में दो अलग-अलग मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी। एम यू के एक्ट में कहीं भी संशोधन नहीं किया गया है कि मूलधन का बंटवारा हो। ऐसे में वर्तमान जबलपुर एम यू के पास के 250 करोड़ रिजर्व फण्ड का बंटवारा गैर कानूनी है।

प्रभारी उपयंत्री को कार्य से किया पृथक

नवभारत,जबलपुर। गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण पर प्रभारी उपयंत्री पी. एडूकोण्डलू/ लक्ष्मैया को कार्यभार से निगमायुक्त ने पृथक कर दिया है और आदेश जारी कर उसे मूल पद पर वापस भेज दिया है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि अमखेरा और आस-पास के क्षेत्रों में घटिया सड़क निर्माण और लापरवाही के मामले में सख्त कदम उठाते हुए प्रभारी उपयंत्री पी. एडूकोण्डलू/ लक्ष्मैया को पद से पृथक किया गया है। निगमायुक्त के अनुसार संभाग क्र. 15 के अंतर्गत वार्ड क्र. 74 अमखेरा, खजरी खिरिया मुख्य मार्ग से कुदवारी बस्ती, ओमकार नगर, जागृति नगर में सीमेंट कांक्रीट सड़क का निर्माण कराया जा रहा था।

पुलिस चौकी के ठीक सामने अवैध रूप से संचालित हो रही थी आरा मशीन

वन विभाग की टीम ने लकड़ी के गोदाम को किया सील

आरा मशीन के साथ बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त

नवभारत,जबलपुर। गौर पुलिस चौकी के ठीक सामने अवैध रूप से संचालित हो रहे लकड़ी के गोदाम में वन विभाग की टीम ने छापा मारते हुए अवैध आरा मशीन और बड़ी मात्रा में लकड़ी जप्त की है। डीएफओ के मार्गदर्शन व वन परिक्षेत्र अधिकारी अपूर्व शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम द्वारा गोदाम को सील कर दिया गया।

इस संबंध में वन अधिकारी अपूर्व शर्मा ने नवभारत को बताया कि विभाग को सूचना मिली कि गौरी पुलिस चौकी के सामने गौर निवासी बंटी ठाकुर का बेटा शपित सिंह ठाकुर लकड़ी के गोदाम में अवैध रूप से आरा मशीन का संचालन पिछले कुछ दिनो से कर रहा है। जिसके बाद मौके पर छापा मारा गया और गोदाम को सील करते हुए आरा मशीन, लकड़ी जप्त की गई।

> **बिना लाइसेंस चल रही थी आरा मशीन**
>
> मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इस दौरान पाया कि आरा मशीन का संचालन बिना किसी वैध लाइसेंस के किया जा रहा था। इसके अलावा गोदाम में भारी मात्रा में काष्ठ (लकड़ी) का भंडारण पाया गया, जिसके वैध दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। वन विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरडीवीवी के कुलगुरू कार्यालय में एबीवीपी का उग्र प्रदर्शन

विभिन्न समस्याओं को लेकर जताया विरोध

नवभारत,जबलपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जबलपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने गुरूवार को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की विभिन्न समस्याओं एवं विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के विरोध में लगभग तीन घंटे तक जोरदार नारेबाज़ी कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से परिषद के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय

प्रशासन का ध्यान छात्रों के समक्ष उपस्थित गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित किया। इस दौरान विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रहितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समस्याओं का शीघ्र एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की।

लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे छात्र संगठन के प्रांत मंत्री सुव्रत बांझल ने कहा कि लंबे समय से छात्रों को परीक्षा, परिणाम, प्रशासनिक कार्यों तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय के अनेक विभाग आज भी आधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल संसाधनों, शोध सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक अधोसंरचनाओं से वंचित हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवहारिक शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान महानगर मंत्री आर्यन पुंज ,ऐश्वर्या सोनकर ,अनमोल सोनकर , शोभित मिश्रा ,लखन माँझी , प्रफुल तिवारी , आशुतोष पटेल मौजूद रहे।

शिक्षक के घर के बाहर से बाइक पार

जबलपुर। कुंडम थाना अंतर्गत चांदनी चौक में एक शासकीय शिक्षक के घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल को चोर लेकर चंपत हो गया।

पुलिस के मुताबिक चांदनी चौक कुंडम निवासी 43 वर्षीय वचन सिंह मरावी पिता मिलन सिंह शासकीय माध्यमिक शाला सरौली में शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। वे रोजाना की तरह बीती रात करीब 10 बजे बाइक क्रमांक एमपी 20 एन जी 9579 को किराए के मकान के सामने लॉक करके सोए थे। अगली सुबह जब करीब 6 बजे उनकी नींद खुली, तो घर के बाहर से गाड़ी गायब थी।

पोलीपाथर में अवैध रूप से काटी थी कॉलोनी

बिना अनुमति 0.451 हेक्टेयर भूमि पर चल रहा था खेल

भू-माफिया पर एफआईआर

नवभारत, जबलपुर। ग्वारीघाट थाना अंतर्गत पोलीपाथर में बिना अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले भू-माफियाओं पर शिकंजा कस दिया गया है। नगर निगम की लिखित शिकायत पर ग्वारीघाट पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध कॉलोनी निर्माण की धाराओं में अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

पुलिस के अनुसार, नगर पालिक निगम के कॉलोनी सेल प्रभारी व असिस्टेंट इंजीनियर

सुनील दुबे (57) ने ग्वारीघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई कि पोलीपाथर के खसरा नंबर 18/2 की कुल 0.451 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। जांच में अनियमितताएं और नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया। कॉलोनी के विकास के लिए संयुक्त संचालक, नगर ग्राम निवेश से कोई भी ले-आउट या अभिन्यास अनुमोदित नहीं कराया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 2021 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कालोनी विकास अनुमति प्राप्त किए बगैर ही भूखंड काटकर बेचे जा रहे थे नगर निगम प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए आरोपियों को एक के बाद एक कुल 5 बार आधिकारिक नोटिस जारी किए थे।

आरोपियों ने न तो इन सरकारी नोटिसों का कोई समाधानकारक जवाब दिया और न ही कॉलोनी से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए। अधिकारियों को ठेंगा दिखाते हुए आरोपियों ने नोटिस मिलने के बाद भी मौके पर अवैध निर्माण कार्य जारी रखा। नगर निगम की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हिम्मत पटेल, रमेश कुमार, रामेत्री पटेल,चोखेलाल पटेल सभी निवासी पटैल मोहल्ला, रामपुर संत नगर, डेविस स्वामी निवासी नर्मदा रोड पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

16 कोच के साथ दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती मांग और आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 20174/20173 रीवा-रानी कमलापति-रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस की रेक संरचना में अस्थायी बदलाव करने का निर्णय लिया है। रेलवे के अनुसार 7 अगस्त से 24 अक्टूबर तक यह ट्रेन 8 कोच के स्थान पर 16 कोच वाली वंदे भारत रेक के साथ संचालित होगी। यह व्यवस्था कुल 75 दिनों के लिए लागू रहेगी, जिससे यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। रेल प्रशासन ने बताया कि वर्तमान में संचालित 8 कोच वाली वंदे भारत रेक को नियमित रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के लिए झांसी वर्कशॉप भेजा जा रहा है। इसके स्थान पर अस्थायी रूप से 16 कोच वाली रेक लगाई जाएगी, ताकि ट्रेन का संचालन बिना किसी बाधा के जारी रहे। रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा मिलेगी और सीटों की उपलब्धता भी बेहतर होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 16 कोच वाली रेक के संचालन से ट्रेन की आरक्षित सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ विशेष रूप से रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, नवरात्र और दीपावली जैसे आगामी त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा। पश्चिम मध्य रेल ने उम्मीद जताई है कि इस अस्थायी व्यवस्था से अधिक यात्रियों को कन्फर्म आरक्षण मिल सकेगा और रीवा-रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर पहले से अधिक सुविधाजनक, आरामदायक और सुगम होगा।

कटनी ट्रांसपोर्ट नगर में आवंटन हाईकोर्ट के फैसले के अधीन

जबलपुर। हाईकोर्ट ने कटनी ट्रांसपोर्ट नगर के 115 भूखंडों की निविदा प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि निविदा के आधार पर होने वाला कोई भी आवंटन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। उक्त आदेश जस्टिस विशाल मिश्रा ने कटनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की याचिका पर दिया। एसोसिएशन की ओर से दीपक पंजवानी ने पक्ष रखते हुए बताया कि कटनी शहर में ट्रकों की आवाजाही रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1983 में पुरैनी की शासकीय भूमि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आवंटित की गई थी। योजना के तहत 114 ट्रांसपोर्टरों को भूखंड मिल चुके हैं, जबकि शेष 115 के आवंटन के बजाय नगर निगम ने अब निविदा के जरिए नीलामी शुरू कर दी है। एसोसिएशन ने इसे शासन के आदेश तथा हाईकोर्ट के 2006 के आदेश के विपरीत बताया। शासन ने प्रस्तावित भूमि का मूल्य करीब 44ण्88 करोड़ रुपये बताया और जवाब के लिए समय मांगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निविदा से होने वाला आवंटन याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। कानून विशेषज्ञों के अनुसार याचिका मंजूर होने पर आवंटन निरस्त होकर निविदाकार की राशि लौटाई जा सकती है।

प्रदर्शन आगा चौक स्थित मेट्रो बस डिपो में नारेबाजी, प्रदर्शन, पीएफ की अनियमितताओं, वेतन में देरी से भड़के चालक-परिचालक

डिपो से नहीं निकली मेट्रो बसें, परेशान हुए रोजमर्रा का सफर करने वाले यात्री

नवभारत,जबलपुर। शहर में मेट्रो (चलो) बस सेवा के चालक, कंडक्टर और कर्मचारियों ने वेतन में लगातार हो रही देरी और पीएफ की अनियमितताओं को लेकर गुरूवार को उग्र प्रदर्शन किया और शहर की सड़कों पर रोजाना की तरह दौड़ती मेट्रो बसों के पहिए जाम कर दिए। जानकारी के अनुसार गुरूवार को शहर में दिनभर मेट्रो बसों का संचालन नहीं किया गया जिसका नजीता रहा कि आगा चौक स्थित मेट्रो बस डिपो में मेट्रो बसें खड़ीं रहीं और बसों के न निकलने के कारण दैनिक यात्रियों, स्कूली छात्रों और दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी

परेशानियों का सामना करना पड़ा।

गुरूवार सुबह मेट्रो बसों के चालकों, परिचालकों का समूह एकत्रित हुआ और फिर उन्होंने कंपनी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे, हड़ताल, प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड यानि जेसीटीसीएल के सीईओ सचिन विश्वकर्मा पहुंचे जिन्होंने चालक, परिचालकों को समझाईश दी और उन्हीं के सामने उनका वेतन देने वाली दोनों कंपनियों के ऑपरेटर्स को निर्देश दिए कि चालक, परिचालकों का वेतन समय पर दिया जाए और उनकी पीएफ से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। इसके बाद ऑपरेटर्स ने भरोसा दिलाया कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। जेसीटीसीएल के सीईओ भले ही अभी दावा कर रहे हैं कि आक्रोशित चालकों, परिचालकों ने अपनी हड़ताल, प्रदर्शन खत्म कर दिया है और शुक्रवार की सुबह से शहर की सड़कों पर यथावत मेट्रो बसें दौड़ती नजर आएंगी लेकिन ये तो शुक्रवार को ही स्पष्ट होगा कि आक्रोश खत्म हुआ है कि नहीं।

> **50 दिनों के अंतराल में होता है भुगतान**
>
> मेट्रो बस डिपो के कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हर महीने सैलरी के लिए तरसना पड़ता है और 40 से 50 दिनों के अंतराल में भुगतान किया जाता है। इसके अलावा कई महीनों का पीएफ भी उनके खातों में जमा नहीं कराया गया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि जब वे अपने हक का वेतन या पीएफ का हिसाब मांगते हैं, तो प्रबंधन और कंपनी के अधिकारियों द्वारा उन्हें नौकरी से निकालने और ब्लैकलिस्ट करने की धमकियां दी जाती हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने ये चेतावनी भी दी है कि जब तक उनकी बकाया सैलरी और पीएफ का भुगतान नहीं किया जाता और समय पर वेतन देने की लिखित गारंटी नहीं मिलती तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57